



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8311/2026

जन्मति एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनुज चौधरी, शनि कुमार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- श्री महेन्द्र पाण्डेय, जो श्री भुवनेश कुमार सिंह का ब्रीफ धारण किए हुए हैं, ने आज न्यायालय में सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले श्री भुवनेश कुमार सिंह का वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र पाण्डेय, जो श्री भुवनेश कुमार सिंह का ब्रीफ धारण किए हुए हैं, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 52 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 85, 115(2), 123 बी.एन.एस. 2023, थाना-हिमपुर दीपा, जनपद-बिजनौर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पीड़िता की ननद और देवर हैं। पीड़िता का विवाह वर्ष 2016 में उसके पति नामतः नौशाद के साथ हुआ था। कुछ वैवाहिक विवाद के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़िता के पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और घटना के एक दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि पीड़िता को जबरन विष पिलाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्ता द्वारा आवेदकों की विशिष्ट भूमिका बताई गई है। पीड़िता ने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया और अंततः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के चिकित्सकों के हस्तक्षेप से उसकी जान बचाई जा सकी। सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक भी उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं; अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। विद्वान ए.जी.ए. आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त इंगित नहीं कर सके।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

7- अभिलेख के परिशीलन से यह इंगित होता है कि पीड़िता का विवाह आवेदकों के भाई नौशाद के साथ हुआ था। विवाह वर्ष 2016 में हुआ था और उनके पांच बच्चे हैं। यद्यपि आवेदकों को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, तथापि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में घायल को कोई बाह्य चोट आई हुई प्रतीत नहीं होती है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटनाक्रम के विपरीत है। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अन्तर्गत अपने कथन में कहा है कि जब अन्य अभियुक्त उसे पकड़े हुए थे, उस समय आवेदक संख्या 2 द्वारा उसे तेजाब पिलाया गया था। न्यायालय की राय में, हमले का तरीका, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों की संख्या तथा अन्य परिस्थितियां आवेदकों के झूठे फंसाए जाने की संभावना को समाप्त नहीं करती हैं।

8- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

10- आवेदकगण- **जन्नती एवं फैजान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के अपने-अपने व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i- आवेदकगण जब भी अपेक्षित हों, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii- आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv- आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

11- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय